राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1201/2024
मदन मोहन शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. वित्त सचिव, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य योजना (RGHS), राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी है। अपीलार्थी वर्ष 2017 में पॉर्किसंस बीमारी से पीड़ित हो गया था। अपीलार्थी ने एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में न्यूरो विभाग में दिखाया था, जिस पर अपीलार्थी को एम्स दिल्ली में न्यूरालॉजी को दिखाये जाने की सलाह दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की बीमारी के संबंध में ईलाज हेतु मेडिकल बॉर्ड द्वारा रिपॉर्ट दी गई, जिस पर एसएमएस चिकित्सालय के प्रधानाचार्य द्वारा आदेश दिनांक 01.03.2023 जारी किया गया, जिसमें यह माना कि एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में डीबीएस (Deep Brain Stimulation) बीमारी का ईलाज संभव नहीं है। इस कारण अपीलार्थी को एम्स दिल्ली में रैफर किया गया। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी ने अपना ईलाज दिल्ली एम्स में करवाया। अपीलार्थी ने समस्त दस्तावेज और खर्च के सारे बिल राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पुनः भरण हेतु प्रस्तुत किये। उन खर्चों की राशि 9,65,870/– थी, परंतु अपीलार्थी को मात्र 3,96,061/– रुपये का ही भुगतान किया गया। अपीलार्थी

को शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही इसकी सूचना दी गई कि उन्हें शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

2. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने अपने मेडिकल ईलाज में हुये खर्चे के पुनः भरण हेतु 9,65,870/– रुपये की राशि के बिल प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किये थे, जिसमें 3,96,061/– रुपये का ही भुगतान अपीलार्थी को किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शेष बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के बीलों की शेष बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पुनः विचार करते हुए नियमानुसार आदेश पारित करें। यदि अपीलार्थी के संबंध में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी शेष बकाया राशि पर पुनः भरण पाने का अधिकारी है तो अपीलार्थी को उक्त राशि का भुगतान किया जाये।

4. इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)